प्रेस नोट दिनांक 04-09-2022

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 04-09-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 01परिवार को बिखरने से बचाने मे महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान ,म०हे०मु० सविता सिंह, ,महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. शाहजहां पत्नी मोहम्मद अहमद शाह साकिन पिपरहवा, थाना कपिलवस्तु ,जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 04-09-2022

सेवा भी सुरक्षा भी

महिला सशक्तिकरण /मिशन शक्ति/एंटीरोमियो चेकिंग अभियान के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ मिशन शक्ति अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.09.2022 को श्री संजय कुमार मिश्रा निरीक्षक थाना डुमरियागंज के निर्देशन में हेड कांस्टेबल रमजान अली महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला आरक्षी वंदना यादव एवम् महिला आरक्षी रेनू द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा डुमरियागंज, में शिक्षा एवम सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया तथा महिलाओं , बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवम् सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रेस नोट आपरेशन संवाद दिनांक- 04.09.2022

थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

श्री अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में श्री अखिलेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री देवनन्दन उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन द्वारा आज दिनांक 04.09.2022 को आपरेशन संवाद के क्रम में थाना स्थानीय के उ.नि. श्री जितेन्द्र कुमार शाही, म.आ. सुधा यादव व का. नरसिंह यादव के द्वारा ग्राम सेमरी सोतियाडाढी में ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्तियों (ग्राम प्रधान, अध्यापक , रिटायर्ड कर्मचारी, ग्राम प्रहरी, महिला व ग्राम के अन्य लोगों) की उपस्थिति में उच्च अधिकारीगणों द्वारा दिये गये आदेशों व निर्देशों से गाँव के लोगों को अवगत कराया गया तथा शान्ति व कानून व्यवस्था कायम करनें की अपिल की गयी।

प्रेस नोटःदिनांक 04.09.2022

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं श्री जयेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध गोष्ठी कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति- व्यवस्था बनाये रखने एवं जनता में पुलिस की छवि व्यवहार कुशल बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिये।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं श्री जयेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 04-09-2022 को पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी।

गोष्ठी का प्रारम्भ जनपद के विभिन्न थानों से आये पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया । जिसमें कर्मचारीगण द्वारा उठाई गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गयी। सैनिक सम्मेलन के दौरान कतिपय कर्मियों द्वारा समस्याएं बताई गयी, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया, इसके पश्चात अपराध गोष्ठी प्रारम्भ किया गया।

महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

1- 06 माह से अधिक अवधि से लम्बित अभियोगों का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

2- आईटी0 एक्ट में लम्बित समस्त अभियोगों का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

3- महिला अपराध से सम्बन्धित समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

4- धोखाधड़ी के लम्बित समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

5- समस्त राजपत्रित अधिकारीगण को उनके द्वारा की जा रही विवेचनाओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

6- यू0पी0 कॉप एप एवं अन्य ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त प्रकरण, शिकायतों आदि में पंजीकृत समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

7- लम्बित एस0आर0 केस के बारे में जानकारी ली गयी।

8- समस्त प्रकार के अभियोगों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

9- आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

10- पब्लिक अप्रूवल रेटिंग के अनुसार से उचित एवं प्रभावी कार्यवाही आदि कर और बेहतर क्रियान्यवन हेतु निर्देश दिए गए|

11- माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट को समय से मा0 न्यायालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

12- थानास्तर पर प्राप्त समस्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

13-समस्त पुलिसकर्मियों एवं यू0पी0-112 के पी0आर0वी0 कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण एवं उनके सुख-सुविधाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सीजीएचएस दर पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये, अवसाद-ग्रस्त पुलिसकर्मियों में सकारात्मकता का भाव भरने हेतु योगाभ्यास/ खेल-कूद/ व्यायाम आदि हेतु समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को सुझाव दिया गया।

14- आगामी त्यौहार एवं तिथियों जैसे:- शिक्षक दिवस, अनंत चतुर्दशी, जीवित पुत्रिका व्रत, मासिक शिव रात्रि, विश्वकर्मा पूजा, शारदीय नवरात्रि, महाराजा अग्रसेन जयंती के सम्बन्ध में की गयी तैयारी के विषय में विस्तृत जानकारी ली गयी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

15- समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षगण को नियमित बैंक चेकिंग, पैदल गश्त, महिला सशक्तीकरण हेतु नियमित जागरूकता अभियान, प्रत्येक शुक्रवार को परेड एवं प्रत्येक रविवार को श्रमदान तथा ऑपरेशन संवाद आदि के संबंध में निर्देश दिए गए|

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े दिशा-निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में महोदय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

उक्त गोष्ठी में जनपद में नियुक्त श्री देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी, श्री अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर, श्री हरीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़, श्री अनिल कुमार, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, निरीक्षक रेडियोशाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी यू0पी0-112, समस्त शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 04.09.2022 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

श्री अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश पर अपराध एवं अपराधियो व रोकथाम तस्करी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर व श्री अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में सूर्यप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2022 को एक व्यक्ति जो 10 बोरी यूरिया खाद व 01 अदद साइकिल बृहद ग्राम करमहवा के पास से नेपाल तस्करी कर ले जा रहा था व्यक्ति खाद व साइकिल को छोड़कर नेपाल राष्ट्र की ओर चला गया व बरामद माल को धारा 11 कस्टम अधिनियम के अंतर्गत 10 बोरी यूरिया खाद व 01 अदद साइकिल बरामद करके कस्टम कार्यालय ककरहवा रवाना किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 04.09.2022 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सि.नगर के आदेश पर अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर एवं प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में आज दिनांक 04.09.2022 को वाद संख्या 204/2002 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त मक्खिलाल पुत्र पृथ्वीलाल साकिन पनियहवा थाना उसका बाजार सि.नगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय सदर भेजा गया।